संख्याः 578 / उन्तीस(2) / 17–2(18 पे0) / 2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

दिनांक

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 01 फरवरी 2017

विषयः– नाबार्ड की RIDF-XXII के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद टिहरी विकासखण्ड जाखड़ीधार की रजाखेत ग्राम समूह स्रोत संवर्धन (पुनरीक्षित) पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नाबार्ड की RIDF-XXII (फेस–2) के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद टिहरी विकासखण्ड जाखड़ीधार की रजाखेत ग्राम समूह स्रोत संवर्धन पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 1736 / उन्तीस(2) / 06–2(18 पे0) / 2006 दिनांक 18 अगस्त,2006 द्वारा रू0 935.45लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी के विकासखण्ड जाखड़ीधार की रजाखेत ग्राम समूह स्रोत संवर्धन पम्पिंग पेयजल योजना हेतु मुख्य अभियन्ता(मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0 ला0 रू0 1957.46लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग एवं व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 1637.02लाख के सापेक्ष योजना पर देय 17% सेन्टेज रू0 73.67लाख(आगणन में 12.50% सेन्टेज पूर्व से लगाया गया है 4.50% की गणना की गयी है) अर्थात योजना की कुल पुनरीक्षित लागत रू0 1710.69लाख(रू0 सत्रह करोड़ दस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं योजना हेतु वर्तमान तक अवमुक्त की गयी धनराशि 935.48लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 775.21लाख(रू0 सात करोड़ पिचहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) के सापेक्ष नाबार्ड द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी रू0 312.903लाख(रू0 तीन करोड़ बारह लाख नब्बे हजार तीन सौ मात्र) की की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) शासनादेश संख्याः 1736 / उन्तीस(2) / 06–2(18 पे0) / 2006 दिनांक 18 अगस्त,2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 30 नवम्बर,2016 के कार्यवृत्त में दिये निर्देशों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति– 102–ग्रामीण जलपूर्ति–98–नाबार्ड वित्त पोषित–नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान(4215–01–102–05 से स्थान्तरित)– 00–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सजृन हेतु मद के नामें डाला जायेगा।

4– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– **H 1704132378** दिनांक 28 अप्रैल,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या–23/XXVII (2)/2017 दिनांक 27 अप्रैल,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 578 (1)/उन्तीस(2)/16–2(18 पे0)/2006,तददिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।